

# ।। कार्यालय, नगर पालिक निगम भिलाई चरौदा ।।

E-mail ID – cmobhilaicharoda@gmail.com, www.nagarnigambhilaicharoda.com Phone No. 0788 – 2283410 Fax : 0788 –2284488

क्र./569/लो.क.वि./2019

भिलाई-चरौदा, दिनांक :- 07/06/2019

## रुची की अभिव्यक्ति सह आर.एफ.पी. (द्वितीय)


—00—

एतद् द्वारा निकाय क्षेत्रांतर्गत स्थापित भवनों में डिजीटल कम्प्यूटराईज्ड नंबर प्लेट लगाने हेतु इच्छुक व्यक्ति / संस्था से सीलबंद लिफाफे में पंजीकृत डाक / स्पीड पोस्ट के माध्यम से दिनांक 24.06.2019 को सायं 5.00 बजे तक रुची की अभिव्यक्ति सह आर.एफ.पी. आमंत्रित की जाती है । जो कि दिनांक 25.06.2019 को खोले जावेंगे ।

### पात्रता :-

1. आयकर व जी.एस.टी. में पंजीकृत व्यक्ति / फर्म
2. कम से कम तीन नगरीय निकायों में समान प्रकृति के कार्य का अनुभव

रुची की अभिव्यक्ति सह आर.एफ.पी. का निर्धारित प्रपत्र व नियम शर्तें दिनांक 24/06/2019 के सायं 5.00 बजे तक राशि **रु. 1000.00 रुपये (एक हजार रुपये मात्र)** जमा कर प्राप्त कर सकते हैं अथवा निकाय के Website <http://nagarnigambhilaicharoda.com/> से Download कर सकते हैं । Download किये जाने की स्थिति में रुची की अभिव्यक्ति सह आर.एफ.पी. के साथ राशि 1000.00 का डिमांड ड्राफ्ट जो कि आयुक्त, नगर पालिक निगम भिलाई चरौदा के पक्ष में देय होगा, प्रस्तुत करना होगा । रुची की अभिव्यक्ति सह आर.एफ.पी. के साथ अमानत राशि **रु 10000.00 का F.D.R.** आयुक्त, नगर पालिक निगम भिलाई चरौदा के पक्ष में देय होगा, प्रस्तुत करना होगा । विस्तृत नियम, शर्तें व अन्य जानकारियों कार्यालय के लोक निर्माण शाखा से कार्यालयीन अवधि में प्राप्त किया जा सकता है ।

  
आयुक्त  
नगर पालिक निगम  
भिलाई चरौदा



क्र. / .....569..... / नं.पा.नि. / 2019

भिलाई-चरौदा, दिनांक - .....07 / 06 / 2019

## - ::: रूची की अभिव्यक्ति सह आर.एफ.पी. ::: -

एतद् द्वारा निकाय क्षेत्रांतर्गत स्थापित भवनों में डिजीटल कम्प्यूटराईज्ड नंबर प्लेट लगाने हेतु इच्छुक व्यक्ति / संस्था से सीलबंद लिफाफे में पंजीकृत डाक / स्पीड पोस्ट के माध्यम से दिनांक 24.06.2019 को सायं 5.00 बजे तक रूची की अभिव्यक्ति सह आर.एफ.पी. आमंत्रित की जाती है। जो कि दिनांक 25.06.2019 को खोले जावेंगे।

### पात्रता :-

- 1- आयकर व जी.एस.टी. में पंजीकृत व्यक्ति / फर्म।
- 2- कम से कम तीन नगरीय निकायों में समान प्रकृति के कार्य का अनुभव।

रूची की अभिव्यक्ति सह आर.एफ.पी. का निर्धारित प्रपत्र व नियम शर्तें दिनांक 24/06/2019 के सायं 5.00 बजे तक राशि रु. 1000.00 रुपये (एक हजार रुपये मात्र) जमा कर प्राप्त कर सकते हैं अथवा निकाय के Website <http://nagarnigambhilaicharoda.com/> से Download कर सकते हैं। Download किये जाने की स्थिति में रूची की अभिव्यक्ति सह आर.एफ.पी. के साथ राशि 1000.00 का डिमांड ड्राफ्ट जो कि आयुक्त, नगर पालिक निगम भिलाई चरौदा के पक्ष में देय होगा, प्रस्तुत करना होगा। रूची की अभिव्यक्ति सह आर.एफ.पी. के साथ अमानत राशि रु 10000.00 का F.D.R. आयुक्त, नगर पालिक निगम भिलाई चरौदा के पक्ष में देय होगा, प्रस्तुत करना होगा। विस्तृत नियम, शर्तें व अन्य जानकारियों कार्यालय के लोक निर्माण शाखा से कार्यालयीन अवधि में प्राप्त किया जा सकता है।

### शर्तें :-

1. उक्त उल्लेखित भवनों में ACP Sheet के नंबर प्लेट लगाने बाबत दरें 12 माह के लिये होगी।
2. उक्त उल्लेखित भवनों में ACP Sheet के नंबर प्लेट लगाने समस्त कार्य सम्मिलित हैं, जिनमें होने वाले समस्त सामग्री व श्रम व्यवस्था प्रस्तुतकर्ता निविदाकार की होगी।
3. उक्त उल्लेखित कार्य के सामग्री की सुरक्षा व आवश्यक सामग्री का वहन निविदाकार द्वारा किया जावेगा।
4. वार्ड क्रमांक-01 से वार्ड क्रमांक-40 तक प्रत्येक मकानों में स्थायी Computerised digital Number Plate लगाने का कार्य स्वयं के व्यय से बनाने एवं लगाने का शुल्क मकान मालिकों से वसूल किया जाना है।
5. कार्य प्रारंभ करने के पूर्व निकाय सीमांतर्गत में मुनादी/सूचना स्वयं के व्यय से करना अनिवार्य होगा।
6. नम्बर प्लेट लगाने का कार्य निकाय क्षेत्र के वार्ड चतुर्सीमा के अनुसार तथा अधिकारियों एवं कर्मचारियों के मार्गदर्शन के अनुसार करना होगा।
7. प्रत्येक माह की 01, 15, 30 तारीख को राजस्व शाखा में उपस्थित होकर संबंधित शाखा प्रभारी को कार्य की प्रगति से अवगत कराना होगा।
8. निकाय से किसी प्रकार की राशि देय नहीं होगा।
9. रसीद बुक में निर्धारित शुल्क भवन स्वामी/मकान मालिक से लिया जाना होगा तथा निर्धारित दर से अधिक राशि वसूली की शिकायत प्राप्त होने पर तत्काल प्रभाव से आपका भाव पात्र/कार्यादेश निरस्त कर दिया जावेगा, जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी आपकी स्वयं की होगी।



10. संबंधित एजेंसी द्वारा मकान मालिकों की जानकारी निम्नानुसार प्रारूप में पंजी संधारित कर हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी निगम को प्रस्तुत करना होगा :-

क्र.	मकान मालिक का नाम	पिता/पति का नाम	वार्ड क्र.	पता	राशनकार्ड का रंग एवं क्र.	गैस कनेक्शन उपभोक्ता क्र.	मकान की स्थिति कच्चा/पक्का	शौचालय (हाँ/नहीं)	मोबाईल नं.	आधार नं.	रिमार्क
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11

11. ACP Sheet के नंबर प्लेट लगाने के कार्य में संलग्न किये जाने वाले कर्मचारी/श्रमिकों को परिचय पत्र व वर्दी (UNIFORM) प्रदान करना होगा एवं निकाय में कार्य पूर्ण होने तक Supervisor/Manager के बैठने की व्यवस्था की जावेगी जो निर्धारित समयावधि तक निकाय पर उपलब्ध रहकर समन्वय करने का कार्य करेगा।
12. सशर्त रूचि की अभिव्यक्ति स्वीकर नहीं की जावेगी।
13. समयावधि में वृद्धि अधिकतम 12 माह की जा सकती है जो कि निविदाकार को मान्य होना अनिवार्य होगा।
14. किसी प्रकार का वाद-विवाद होने की स्थिति में आयुक्त, नगर पालिक निगम, भिलाई-चरौदा का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।
15. सार्वजनिक/सामुदायिक भवन, दुकान/घर, शासकीय मकान, शासकीय अस्पताल व स्कूल हेतु पृथक-पृथक कोडिंग कर उनका पृथकीकरण करने का कार्य निविदाकार द्वारा स्वयं के व्यय से किया जावेगा। अपितु उनकी नाम प्लेट का व्यय निकाय द्वारा वाहन किया जावेगा, जिसके संबंध में निविदाकार द्वारा मांग-पत्र पूर्व से प्रेषित किया जावेगा।


क्र.	कार्य का नाम	दर प्रति नग
1	डिजीटल कम्प्यूटराईज्ड नंबर प्लेट	

16. सार्वजनिक भवन/अन्य किसी के द्वारा भी यदि नाम प्लेट लगाने हेतु दर का भुगतान न करने की स्थिति उत्पन्न हुई या असहयोग प्रदान करने की स्थिति में संबंधित सहायक राजस्व निरीक्षक द्वारा रिमार्क कॉलम में हस्ताक्षर रहना अनिवार्य होगा।
17. सॉफ्ट कॉपी/हार्ड कॉपी में विसंगति होने की स्थिति में EMD राशि कटौती की जावेगी।
18. सशर्त रूचि की अभिव्यक्ति सह आर.एफ.पी. स्वीकार नहीं होगी।

एजेंसी का हस्ताक्षर एवं सील

नाम .....

पता .....

  
 आयुक्त  
 नगर पालिक निगम  
 भिलाई-चरौदा